संख्या-177/2023/3050/22-2-2022-17(128)/2020

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 27 अप्रैल, 2023*

विषय:- जिला कारागार, सिद्धार्थनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी राकेश तिवारी उर्फ बब्लू तिवारी पुत्र श्री रामयज्ञ तिवारी, निवासी जनपद-बस्ती की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-23650/प्रोबेशन-6/214 दिनांक-20-07-2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, गोरखपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी राकेश तिवारी उर्फ बब्लू तिवारी पुत्र श्री रामयज्ञ तिवारी, जो छपिया, थाना-पैकोलिया, जनपद-बलिया का रहने वाला है। बन्दी द्वारा दिनांक 01.11.2000 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर जमीनी विवाद के कारण कट्टा व रिवाल्वर से दीनानाथ पाण्डेय नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-142/2004 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 प्रथम, बस्ती के आदेश दिनांक 26.08.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 31.05.2018 द्वारा यथावत रखा गया। बंदी द्वारा दिनांक 21.06.2022 तक 18 वर्ष, 02 माह, 29 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष, 09 माह, 20 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। दयायाचिका समिति में उल्लिखित किया गया है कि बन्दी के ऊपर गम्भीर धाराओं में अन्य वाद लम्बित है एवं बन्दी द्वारा कारित घटना समग्र समाज के विरूद्ध किया गया अपराध है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के विषय में विपरीत सन्देश जायेगा एवं जनहित प्रभावित होगा। उक्त के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01-08-2018, एवं यथा संशोधन विषयक शासनादेश सं0-120/2021/1382/22-2-2021-07जी/2018, दिनांक 28-07-2021 व शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी/2018 दिनांक 27.05.2022 के प्रस्तर-12 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी राकेश तिवारी उर्फ बब्लू तिवारी पुत्र श्री रामयज्ञ तिवारी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बंदी राकेश तिवारी उर्फ बब्लू तिवारी (बन्दी संख्या-69/18) पुत्र श्री रामयज्ञ तिवारी, निवासी जनपद-बस्ती की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपर्युक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-177/2023/3050/22-2-2022 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-जिला मजिस्ट्रेट, बस्ती
2-अधीक्षक, जिला कारागार, सिद्धार्थनगर ।
3-निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4-निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in